

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: प.22(13)न्याय/97

जयपुर, दिनांक 9.7.19

:: परिपत्र ::


प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जिला कलेक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों द्वारा अपने पद के साथ-साथ अन्य विभागों अथवा अन्य पदों का अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश अपने स्तर पर बिना विधि विभाग की सहमति के जारी कर दिये जाते हैं, जबकि विधि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पदीय कर्तव्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त कार्य आवंटन करने के लिए विधि विभाग ही अधिकृत है।

अतः सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों एवं अन्य विभागों को प्रेषित कर लेख है कि विधि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पदीय कर्तव्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त कार्य आवंटन करने के लिए विधि विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जिससे विधि विभाग संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार निर्देशित कर सके।


9/7/19
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त
4. समस्त विभाग
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


9-7-19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव